आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 115/13–14

बुटन महतो वनाम् परमा महतो एवं अन्य

आदेश

आवेदक बुटन महतो पिता शिव परसन महतो ग्राम–बैदराबाद टोला ओझा विगहा थाना+जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि की नापी कराकर कब्जा दिलाने अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा बैदराबाद टोला ओझा बिगहा,थाना+जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
7	584	$1\frac{1}{2}$ कट्ठा	उतर–भीखर साव वगैरह,दक्षिण–नीज मोकिर,पूरब–कृष्ण प्रसाद, पश्चिम–बिनोद चन्द्रवंशी की पत्नी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन को आवेदक ने दिनांक 07.12.07 को बद्रीनाथ ओझा से क्रय किया है और रसीद कटाकर दखल काबिज है। बद्रीनाथ ओझा के पिता बाबूलाल ओझा वगैरह ने दिनांक 08.08.1935 को खतियानी रैयतों कलयुग चमार वो मूँगिया देवी जौजे नन्द बिहारी चमार से सरैन्डरनामा से प्राप्त किया था और बाद में आपसी बँटवारा में बाबूलाल ओझा,बद्रीनाथ ओझा के पिता,के हिस्सा में मिला था।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित भूमि पर बदरीनाथ ओझा एवं वादी बुटन महतो द्वारा टाईटिल सुट नं० 14/2008 लायी गई थी जिसे विद्वान मुसिफ जहानाबाद के द्वारा खारिज कर दिया गया,फलतः जिस भूमि पर टाइटिल में कोई आदेश पारित की जा चुकी है,उसके विरूद्व इस अधिनियम के तहत कोई मामला विचारणीय नही है और वाद खारिज कर देने योग्य है।

वाद में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। विवादित भूमि के निश्वतः एक टाइटिल सूट संख्या 14/2008 बद्रीनाथ ओझा एवं वादी बुटन सिंह एवं अन्य के द्वारा दाखिल किया गया था जिसमें परमानंद सिंह,प्रतिवादी,भी विपक्षी पक्षकार थे और वाद पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया गया है। उक्त वाद को वादी के द्वारा पुर्नजीवित (Restore) नही कराया गया था अर्थात् वादी के द्वारा पारित आदेश को मान लिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जब पूर्व ही न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है तो पुनः इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।